

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (REWA), मध्य प्रदेश

दूरभाष:-

फैक्स:

ई-मेल:

क्रमांक/स्कूल आई.डी. - 14083943/17762  
प्रति,

दिनांक:- 11/05/2017

प्रबंधक,

(SACRED HEART CONVENT SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र। महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पर दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - SACRED HEART CONVENT SCHOOL, Station Road, Padra, Huzur Rewa, MP को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालावाधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतापत्रवद्धता की कोई बाधकता किसी भी रूप में विद्यमान नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने प्रवेश की नीति के अंतर्गत तत्काल तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दया में, स्कूल यदि तृप्तता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक बजट में निःशुल्क एवं स्कूल (यदि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध।
- धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार स्वयं की प्रतीप्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतीप्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को शुल्क न वसूलना उपलब्ध कराया जाएगा।
- स्वसाहटी स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके बालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक का प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा।
  - (क) आयु के संबंध में अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावाधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश/ छात्रा ग्राह्य है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि:
  - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोका या तिष्कारित नहीं किया जाएगा;
  - किसी बालक को पारंपरिक या मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा;
  - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
  - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम बाल्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; यद्यपि कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
  - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा।
  - प्राथमिक टैरिफ की शर्तविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यधर्मा का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 37-2/2020/20-3

भोपाल, दिनांक 31/12/2020

// परिपत्र //

विभागीय समसूच्यक संसन् दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसी समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रद्वेषा से छूट प्रदान करने हेतु विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु सञ्जात मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केन्द्र के पत्र क्रमांक/शशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सन् 2021-22 के लिए निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत सञ्जात ऐसी समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा निर्यात की गई है।


3/ योग्यता निर्दिष्ट, सक्षमता के दृष्टिकोण अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों को दूर करने में सहायता हेतु राज्य सरकार एतद्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 में प्रदत्त शर्तों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

3.1 निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश में सञ्जात ऐसी समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु सञ्जात मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सन् 2021-22 के लिए नवीन मान्यता एवं सञ्जात नई हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अन्वय में एनआईसी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सञ्जात मान्यता नवीनीकरण नियम से विहित प्रक्रिया अन्वय निरसृत किया जाए।

3.3 उपरोक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में वर्णित विद्यालय संघर्ष हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

  
31.12.20  
(क.के.द्विवेदी)  
उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग